

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) अनूपशहर, बुलन्दशहर
मूलवाद संख्या 226 सन 2024
सुरेन्द्र..... बनाम.... श्रीमती राधा देवी आदि।

दिनांक:-10.07.2026 (समय 04.00 बजे)

वाद पुकारा। वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित। वादी लम्बे समय से अनुपस्थित चला आ रहा है। वादी दिनांक 26.07.2022 से न्यायालय उपस्थित नहीं आया है। वादी को उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वादी न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपना वाद चलाने में इच्छुक नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद वादी द्वारा बल न दिये जाने कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद वादी एवं प्रतिवादी दोनों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो

सिविल जज (अवर खण्ड)
अनूपशहर, बुलन्दशहर।